[लोक सभा द्वारा 10 मार्च, 2015 को पारित रूप में]

2015 का विधेयक संख्यांक 20सी

[दि राइट टू फेयर कम्पनशेशन एंड ट्रांसपेरेनसी इन लैंड एक्यूजीशन रिहेबलीटेशन एंड रीसेटिलमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

5 (2) यह 31 दिसम्बर, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

संपूर्ण अधिनियम में कतिपय पदों का प्रतिस्थापन ।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, "प्राइवेट कंपनी" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं "प्राइवेट इकाई" शब्द रखे जाएंगे । 2013 का 30

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह भी कि धारा 10क में सूचीबद्ध परियोजनाओं और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन को इस उपधारा के पहले परन्तुक के उपबंधों से छूट प्राप्त होगी ।" ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(i) खंड (ञ) के उपखंड (i) में, "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(ii) खंड (म) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(मम) "प्राइवेट इकाई" से सरकारी इकाई या उपक्रम से भिन्न कोई इकाई अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्वत्व, भागीदारी, कंपनी, निगम, अलाभकारी संगठन या अन्य इकाई भी है ।' ।

नए अध्याय 3क का अन्तःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**अध्याय 3क**

अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों का कतिपय परियोजनाओं को लागू न होना

कतिपय परियोजनाओं को छूट देने की समुचित सरकार की शक्ति ।

10क. (1) समुचित सरकार, लोक हित में, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित परियोजनाओं में से किन्हीं को इस अधिनियम के अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों के लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :--

(क) ऐसी परियोजनाएं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अन्तर्गत रक्षा की तैयारी या रक्षा उत्पादन भी है, के लिए आवश्यक हैं ;

(ख) ग्रामीण अवसंरचना जिसके अन्तर्गत विद्युतीकरण भी है ;

(ग) खर्च वहन करने योग्य आवास और निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास ;

(घ) समुचित सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक कोरीडोर (ऐसे मामले में ऐसे औद्योगिक कोरीडोर के लिए भूमि का अर्जन अभिहित रेल लाइन या सड़कों के दोनों ओर के एक किलोमीटर तक किया जाएगा) ; और

(ङ) अवसंरचना परियोजनाएं जिनके अन्तर्गत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अधीन ऐसी परियोजनाएं भी हैं, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित बना रहता है :

परंतु समुचित सरकार, अधिसूचना जारी किए जाने के पूर्व, ऐसी परियोजना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि मात्र को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तावित अर्जन के लिए भूमि की सीमा को सुनिश्चित करेगी ।

(2) समुचित सरकार, अपनी बंजर भूमि का, जिसके अंतर्गत अनुर्वर और ऊसर भूमि भी है, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, सर्वेक्षण कराएगी और ऐसी भूमि के ब्यौरों से युक्त एक रिकार्ड बनाए रखेगी ।" ।

धारा 24 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में ऐसी किसी अवधि या अवधियों को, जिनके दौरान भूमि के अर्जन की कार्यवाहियां, किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी रोक या व्यादेश के कारण रोक दी गई थीं या कब्जा लेने के लिए किसी अधिकरण के अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट अवधि को या ऐसी अवधि को, जहां कब्जा ले लिया गया है किन्तु प्रतिकर न्यायालय में या इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे गए किसी अभिहित खाते में जमा पड़ा हुआ है, अपवर्जित किया जाएगा ।" ।

धारा 31 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ज) में, "आज्ञापक नियोजन" शब्दों के पश्चात्, ", जिसके अंतर्गत किसी फार्म श्रमिक के ऐसे प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य का अनिवार्य नियोजन भी है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 46 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में, "से भिन्न कोई व्यक्ति आता है" शब्दों के स्थान पर, "आती है" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 67क की अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 67 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

शिकायतों का विनिश्चय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का जिले या जिलों में किया जाना ।

"67क. प्राधिकरण, धारा 64 के अधीन निर्देश प्राप्त करने और ऐसे निर्देश की सभी संबंधित पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात्, निर्देश में उठाए गए आक्षेपों का समाधान करने के लिए उस जिले में सुनवाई करेगा, जहां कि भूमि का अर्जन किया जाएगा ।"।

धारा 87 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 87 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

सरकारी पदधारियों द्वारा अपराध ।

"87. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो ऐसा अभिकथित अपराध किए जाने के समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में नियोजित है या था, वहां न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान तब करेगा, जब कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 में अधिकथित प्रक्रिया में यह अनुसरण किया जाए ।" ।

1974 का 2

धारा 101 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 101 में, "पांच वर्ष की अवधि तक" शब्दों के स्थान पर, "किसी परियोजना के स्थापित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि तक या पांच वर्ष की अवधि तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 105 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 105 में,---

(i) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) पहली अनुसूची के अनुसार प्रतिकर के अवधारण, दूसरी अनुसूची के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन और तीसरी अनुसूची के अनुसार अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन से संबंधित अधिनियमितियों को 1 जनवरी, 2015 से लागू होंगे ।";

(ii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 113 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 113 की उपधारा (1) में,---

(i) "इस भाग के उपबंधों" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के उपबंधों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक में "दो वर्ष की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष की अवधि" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृति ।

14. (1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2014 का अध्यादेश सं0 9

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

GMGIPMRND—5230LS(CRC)—10-03-2015.